(9)

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–53 / 2013–14

अंजनी कुमार सिंह बनाम अरूण कुमार सिंह

(Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
16/5/18	**आदेश** आवेदक श्री अंजनी कुमार सिंह, पिता स्व0 शिव गोविन्द सिंह उर्फ शिवनंदन सिंह, मैनपुरा, थाना–पाटलीपुत्रा, जिला–पटना के द्वारा अपने बड़े भाई अरूण कुमार सिंह के नाम से मौजा–मैनपुरा में कायम जमाबंदी सं0 10856 को रद्द करने हेतु यह वाद लाया गया है। इस न्यायालय में विपक्षी दिनांक 12.02.2014 को उपस्थित हुए, परन्तु अनेक अवसर दिए जाने के बाद भी उनकी तरफ से प्रतिउत्तर दायर नहीं किया गया। कालान्तर में विपक्षी के द्वारा वाद में पैरवी करना भी छोड़ दिया गया। अंततः दिनांक 07.05.2018 को एक पक्षीय सुनवाई की गयी। आवेदक की तरफ से दिनांक 16.05.2018 को लिखित बहस दायर की गयी। **आवेदक का कहना है कि :** (1) दिनांक 28.05.1954 के निबंधित केवाला से छोबा सिंह, जयगोविन्द सिंह एवं शिव गोविन्द सिंह, पेसरान मुकुन्दी सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न खाता, खेसरा की 1.42 एकड़ भूखण्ड की खरीद की गयी। कालान्तर में परिवार के बीच सम्पति का बंटवारा हुआ तथा सभी फरीक अपने–अपने हिस्से पर दखल में आये। (2) शिव गोविन्द सिंह उर्फ शिवनंदन सिंह अपने पीछे पत्नी एवं दो पुत्र अंजनी कुमार सिंह (आवेदक) एवं अरूण कुमार सिंह (विपक्षी) को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए। अरूण कुमार सिंह आवेदक के बड़े भाई है। (3) आवेदक भारतीय वायुसेना की सेवा में थे। पटना में बड़े भाई अरूण कुमार सिंह, जमीन की देख भाल करते हैं। (4) विपक्षी अरूण कुमार सिंह के द्वारा पटना सदर अंचल के वाद सं0 184 / 2004–05 के द्वारा मौजा–मैनपुरा, खाता सं0 379, खेसरा सं0 1259 रकबा 2849 वर्गफीट की जमाबंदी सं0 10856 गलत ढंग से अपने नाम से कायम करा ली गयी। (5) आवेदक की माता ने बड़े पुत्र अरूण कुमार सिंह के विरूद्ध मेंटेनेन्स केस नं0 90(एम) / 2012 दायर किया है, जो पारिवारिक न्यायालय, पटना में लम्बित है। आवेदक की माता आवेदक के साथ रह रही है। (6) विपक्षी अरूण कुमार सिंह अपने नाम से हुए, दाखिल खारिज	

एवं लगान रसीद के आधार पर सम्पति का किराया वसूल कर रहे है।

(7) आवेदक के द्वारा विपक्षी के नाम से कायम जमाबंदी सं0 10856 को निरस्त करने तथा प्रश्नगत खाता, खेसरा के आधे भाग अर्थात 1424.5 वर्गफीट का दाखिल खारिज आवेदक के नाम से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड को अपनी पारिवारिक सम्पति बताते है, जो आवेदक के पिता एवं चाचा के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 28.05.1954 के केवाला से खरीदी गयी थी। आवेदक का कहना है कि पारिवारिक बंटवारा हो चुका है तथा सभी फरीक अपने–अपने हिस्से पर दखल में है। परन्तु आवेदक के द्वारा ऐसे किसी बंटवारानामा का कागज दाखिल नहीं किया गया। आवेदक को पारिवारिक सम्पति में कितना हिस्सा मिला स्पष्ट नहीं है।

(2) आवेदक मात्र मौजा–मैनपुरा, खाता सं0 379, खेसरा सं0 1259 रकवा 2849 वर्गफीट की आधा हिस्सा पर दावा कर रहे हैं, तथा उक्त भूखण्ड के आधे भाग अर्थात 1424.5 वर्गफीट की जमाबंदी अपने नाम से कायम करने का अनुरोध कर रहे हैं। आवेदक के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्व न्यायालय से हिस्से का बंटवारा नहीं किया जाता। आवेदक या तो पारिवारिक तौर पर आपस में बंटवारा करें अथवा सक्षम व्यवहार न्यायालय में बंटवारा हेतु टाईटिल पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि यह पारिवारिक सम्पति के बंटवारा का मामला है। आवेदक को प्रश्नगत भूखण्ड हिस्से में प्राप्त हुई थी अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। आवेदक प्रश्नगत भूखण्ड के आधे–हिस्से पर अपने स्वत्व निर्धारण की बात कह रहे हैं, जो इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आवेदक इसके लिए सक्षम व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

16/5/18

(बजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

16/5/18

(बजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना